

— / / 01 / / —

आपराधिक प्र.क.: 21 / 2015

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 21 / 2015

संस्थित दि: 08 / 01 / 2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. त्रिभुवन गिरी पिता गणेश गिरी, उम्र 52 साल,
निवासी दलदला (हुड्डीटोला) थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. चंद्रसेन पिता पिट्टूलाल बिसेन, उम्र 54 साल,
निवासी सोनपुरी चौकी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. चित्रसेन पिता सूरजलाल बिसेन, उम्र 44 साल,
निवासी गोदरीलाल रूपझर जिला बालाघाट(म.प्र.)(फौत)
4. निर्मलसिंह राणा पिता स्व. विजय बहादुरसिंह राणा, उम्र 54 साल,
निवासी वार्ड नं. 04 नरसिंहटोला बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. गोरेलाल ठाकरे पिता स्व. गेंदलाल ठाकरे, उम्र 54 साल,
निवासी कुन्डा मोहगांव थाना हट्टा
6. रामदयाल पिता मुन्नालाल जैतवार, उम्र 54 साल,
निवासी वार्ड नं. 01 उकवा (दुगलटोला) थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
7. दिलराज कटरे पिता जियालाल जैतवार, उम्र 54 साल,
निवासी दिलाटोला रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपीगण

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 23 / 01 / 2015 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2014 को फरियादी थानसिंह पिता फत्तेसिंह कोर्सम शाखा प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति

मर्या उकवा पजि. क्रमांक 747 ने चौकी उकवा उपस्थित होकर आवेदन पत्र क्रमांक 202/एफ.आई.आर./2014/लेम्पस उकवा दिनांक 11.10.2014 पेश किया, जिसके मजमुन से अपराध धारा 420, 34 का आरोपी गोरेलाल ठाकरे सहायक प्रबंधक, चन्द्रसेन बिसेन कैशियर एवं लिपिक, त्रिभुवन गिरी गोस्वामी लिपिक, रामदयाल जैतवार तत्कालीन खाद प्रभारी, चित्रसेन बिसेन तत्कालीन संस्था प्रबंधक, दिलराज कटरे तत्कालीन अध्यक्ष एवं निर्मलसिंह राणा शाखा प्रबंधक बैहर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण में धारा 409 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। उक्त प्रकरण में सभी आरोपीगण आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या उकवा में कार्यरत थे तथा सभी ने एक राय होकर संस्था की निती एवं नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से श्रीमति सतवंतीबाई राणा पति स्व. डिकेश्वर राणा, उम्र 36 साल, निवासी दलदला एवं संस्था में कार्यरत आरोपी त्रिभुवन गिरी गोस्वामी ने स्वयं के नाम पर फर्जी ऋण आवेदन पत्र तैयार कर स्वीकृत किये गये एवं पैसों का आहरण किया गया जबकि दोनों ही ऋण प्राप्त कर्ता भूमि हीन थे, जो कि संस्था की ऋण निती अनुसार ऋण प्राप्त करने के लिये अयोग्य थे, जब साक्षी सतवंताबाई राणा को इस सम्बंध में जानकारी लगी तो उसके द्वारा संस्था में शिकायत की गई, जिसकी जांच एम.के. मानेश्वर सहकारिता विस्तार अधिनियम परसवाड़ा/बैहर के द्वारा की गई एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त आरोपियों के द्वारा एक राय होकर अपराध धारा का सिद्ध पाया गया। दौरान विवेचना में किन्ही कारणों से आरोपी चित्रसेन बिसेन ने आत्महत्या कर ली, जिसकी मृत्यु की जांच थाना रूपझर में की गई एवं पीड़ीत साक्षी सतवंता राणा के पति डिकेश्वर राणा की मृत्यु प्रकरण कायमी के 05 माह पूर्व हो चुकी थी, जिससे उसकी पूछताछ नहीं जा सकी। जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया। किन्तु उसके उल्लेखित दस्तावेज सभी प्रदर्श प्राप्त नहीं हुये। जांचकर्ता द्वारा उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया। प्रकरण में फरियादी थानसिंह कोर्सम द्वारा पेश करने पर एक लोन लेजर रजिस्टर ऋण, आवेदन फार्म, चेक, खाद बिक्री पंजी एवं अन्य सभी विवादित दस्तावेज जप्त किये गये तथा आरोपियों की नमूना हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर लिये गये एवं स्वभाविक हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि प्राप्त कर परीक्षण हेतु राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय जहागिराबाद भोपाल 8 के पास परीक्षण हेतु आर. 516 विनोद सिंह द्वारा जमा किया गया एवं पावती प्राप्त की गई तथा साक्षीगणों के कथन लिख किये गये विवेचना पूर्ण होने से एवं आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से सभी आरोपियों के विरुद्ध चालन क्रमांक 01/15 दिनांक 07.01.2015 न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409, 34 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (05) आरोपीगण को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।
- (06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (07) प्रकरण में आरोपी चंद्रसेन जिला जेल बालाघाट में एवं आरोपी त्रिभुवन गिरी उपजेल बैहर में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उनका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 05.02.2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जिला जेल अधीक्षक, जिला जेल बालाघाट एवं उपजेल बैहर तथा शेष आरोपीगण को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट